लिटिल प्रेस्पा झील

संदर्भ: लिटिल प्रेस्पा झील अल्बानिया और ग्रीस की सीमा पर स्थित है और यह मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण सिकुड़ रही है।

भौगोलिक स्थिति:

- **स्थान:** यह झील मुख्यत: ग्रीस में स्थित है और इसका दक्षिणी हिस्सा अल्बानिया तक फैला हुआ है। यह बड़ी ग्रेट प्रेस्पा झील का एक छोटा भाग है।
- **आकार:** अल्बानिया में झील का 450 हेक्टेयर क्षेत्र है, जिसमें से 430 हेक्टेयर सूख गया है या दलदली हो गया है।

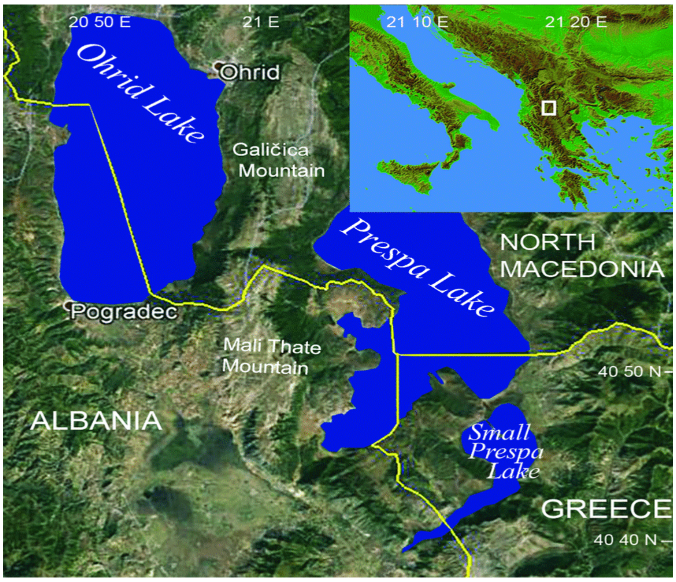

क्षरण के ऐतिहासिक कारण:

- 1970 के दशक में, अल्बानियाई कम्युनिस्ट अधिकारियों ने कोरका शहर के पास खेतों की सिंचाई के लिए डेवोल नदी को मोड़ दिया था, जिससे झील का जल स्तर काफी कम हो गया।

झील के सिकुड़ने का प्रभाव:

- **आजीविका का नुकसान:** मछली पकड़ना, जो कभी स्थानीय लोगों का मुख्य व्यवसाय था, पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। नदी में कम पानी होने से मछलियों की आबादी कम हो गई है, जिससे निवासियों के पास विकल्प कम रह गए हैं।
- **परिदृश्य में बदलाव:** सूखी हुई झील दलदली हो गई है और अब वहां आवारा मवेशी घूमते हैं।
- **तापमान में बदलाव:** बढ़ते तापमान, हल्की सर्दियाँ और कम होती वर्षा ने स्थिति को और खराब कर दिया है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि लगातार सूखे के कारण झील पूरी तरह से गायब हो सकती है।
- **अनिश्चित भविष्य:** यदि आगामी सर्दियाँ सूखी और गर्मियाँ गर्म रहीं, तो झील अपना सारा पानी खो सकती है, जिससे अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक क्षति हो सकती है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** लिटिल प्रेस्पा झील एक सीमा पार क्षेत्र है जो अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। झील के खत्म होने से पक्षी प्रजातियाँ और इसके पानी पर निर्भर अन्य वन्यजीव खतरे में पड़ सकते हैं।

प्रेस्पा झीलों के बारे में:

- उत्तरी मैसेडोनिया, अल्बानिया और ग्रीस के त्रि-बिंदु पर स्थित प्रेस्पा झीलें 853 मीटर (2,799 फीट) की ऊँचाई पर दो सबसे ऊँची टेक्टोनिक झीलें हैं।
- **ग्रेट प्रेस्पा झील:** यह झील उत्तरी मैसेडोनिया (176.3 वर्ग किमी), अल्बानिया (46.3 वर्ग किमी) और ग्रीस (36.4 वर्ग किमी) के बीच साझा की जाती है।
- **लिटिल प्रेस्पा झील:** यह मुख्य रूप से ग्रीस में है और इसका आकार 4.3 वर्ग किमी है, जबकि इसका एक हिस्सा अल्बानिया में फैला हुआ है।
- इन झीलों को ग्रीस में 4 किमी लंबे स्थलडमरूमध्य से अलग किया गया है, जो एक छोटी नहर के जरिए जुड़ी हुई हैं।

सतत तेल पाम खेती पर राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा कार्यशाला

संदर्भ: हाल ही में कृषि विभाग (असम सरकार) और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (भारत सरकार) द्वारा संयुक्त रूप से गुवाहाटी में सतत तेल पाम खेती पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

सतत तेल पाम खेती:

- सतत तेल पाम खेती से तात्पर्य तेल पाम के पेड़ों को इस तरह से उगाने से है कि पर्यावरणीय प्रभाव न्यूनतम हो और किसानों तथा समुदाय के लिए आर्थिक लाभ अधिकतम हो।
- इसमें पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाना, जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करना, और खेती के तरीकों में सामाजिक जिम्मेदारी

को बढ़ावा देना शामिल है।

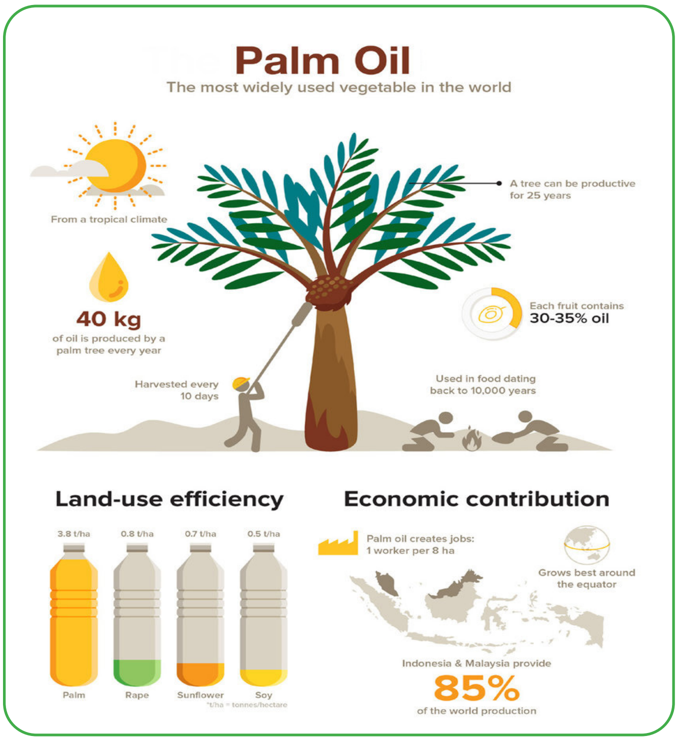

भारत में सतत तेल पाम खेती को बढ़ावा देने वाली सरकारी योजनाएँ:

- **खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन– तेल पाम (एनएमईओ–ओपी)**
- **लॉन्च:** अगस्त 2021।
- **उद्देश्य:** खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तेल पाम की खेती और कच्चे पाम तेल के उत्पादन को बढ़ाना।
- **वित्तीय परिव्यय:** 11,040 करोड़, जिसमें भारत सरकार से 8,844 करोड़ और राज्य सरकारों से 2,196 करोड़ रूपये शामिल हैं।
- **लक्ष्य:**
    - 2025–26 तक तेल पाम क्षेत्र को 3.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर करना।
    - इसी अवधि के दौरान कच्चे पाम तेल का उत्पादन 0.27 लाख टन से बढ़ाकर 11.20 लाख टन करना।
    - रोपण सामग्री, अंतर–फसल और नर्सरी स्थापित करने के लिए सहायता।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना:

- **आरंभ:** 2015।
- **उद्देश्य:** किसानों को मृदा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करके टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा देना।
- **प्रासंगिकता:** यह तेल पाम उत्पादकों को मिट्टी की आवश्यकताओं को समझने और उत्पादकता में स्थायी रूप से सुधार करने के लिए सर्वोत्तम तरीकों को लागू करने में मदद करता है।

भारत में पाम ऑयल उत्पादन:

- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल देश के 98% पाम ऑयल का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और मिजोरम में भी पाम ऑयल की खेती के बड़े क्षेत्र हैं।

एफ एंड ओ ट्रेडिंग पर सेबी के नए नियम

संदर्भ: हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) में ट्रेडिंग के लिए छह नए नियम लागू किए हैं। इसका उद्देश्य अनुबंध बाजार को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है।

नियमों में बदलाव का कारण:

- पिछले कुछ वर्ष से फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) ट्रेडिंग की गतिविधियों में भारी वृद्धि देखी गई है, जिसमे अधिकांश निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा है। इस स्थिति को देखते हुए, SEBI ने नए नियम लागू कर सट्टेबाजी पर नियंत्रण और निवेशकों के नुकसान को सीमित करने का प्रयास किया है।

SEBI द्वारा लागू किए गए प्रमुख उपाय:

- **कॉन्ट्रैक्ट साइज में वृद्धि:** खुदरा निवेशकों को डेरिवेटिव्स बाजार में भाग लेने से हतोत्साहित करने के लिए न्यूनतम कॉन्ट्रैक्ट साइज को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है।
- **उच्च मार्जिन आवश्यकताएँ:** सट्टेबाजी से बचाने के लिए मार्जिन की राशि बढ़ाई गई है।
- **प्रीमियम का अग्रिम भुगतान:** ऑप्शन खरीदारों को अब प्रीमियम पहले ही देना होगा, जिससे अनावश्यक इंट्राडे लीवरेज को रोका जा सके।
- **साप्ताहिक एक्सपायरी पर सीमा:** सभी एक्सचेंजों पर साप्ताहिक एक्सपायरी को एक सीमा तक सीमित कर दिया गया है।
- **इंट्राडे स्थिति सीमा की निगरानी:** अब स्टॉक एक्सचेंज इंट्राडे के दौरान इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स की स्थिति की निगरानी करेंगे, जिससे बाजार में हेरफेर को रोका जा सके।
- **कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन समाप्त:** एक्सपायरी के दिनों में सट्टेबाजी कम

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

करने के लिए कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन लाभ हटाया गया है।

फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में:

- **फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट:** यह एक बाध्यकारी समझौता है जिसमें खरीदार और विक्रेता पूर्व निर्धारित मूल्य पर किसी परिसंपत्ति को भविष्य की एक निश्चित तिथि पर खरीदने या बेचने का वचन देते हैं।
- **बाध्यता:** खरीदार को परिसंपत्ति को खरीदना और विक्रेता को परिसंपत्ति को बेचने का दायित्व होता है, चाहे एक्सपायरी तिथि पर मौजूदा बाजार मूल्य कुछ भी हो।
- **ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट:** ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक निवेशक को एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित भविष्य की तारीख पर वस्तु को खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, लेकिन बाध्यता नहीं होती।
- फ्यूचर्स के विपरीत, ऑप्शंस में लेन-देन को निष्पादित करने का अनिवार्य दायित्व नहीं होता, निवेशक ऑप्शन का उपयोग करने का निर्णय ले सकता है।

SEBI के बारे में:

- **SEBI की स्थापना:** SEBI की स्थापना 1988 में एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में हुई और 1992 में भारतीय संसद द्वारा SEBI अधि नियम पारित होने के बाद इसे सांविधिक शक्तियाँ प्राप्त हुई।

संगठनात्मक संरचना:

- **अध्यक्ष:** भारत सरकार द्वारा नामित
- **सदस्य:**
  - दो सदस्य (भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से)
  - एक सदस्य (भारतीय रिजर्व बैंक से)
  - पाँच सदस्य (भारत सरकार द्वारा नामित,इनमें से कम से कम तीन पूर्णकालिक सदस्य होने चाहिए)
- **मुख्यालय:** मुंबई
- **क्षेत्रीय कार्यालय:** अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली

पॉवर पैक्ड न्यूज

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नियामक मंच का संबद्ध सदस्य बना

हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नियामक मंच (IMDRF) का संबद्ध सदस्य बन गया है। यह संगठन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

पृष्ठभूमि:

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वैश्विक मानकों के साथ समन्वय करने के लिए चिकित्सा उपकरणों के लिए व्यापक नियम लागू किए हैं। यह पहल विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक नियामक वातावरण को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखती है।

आवेदन प्रक्रिया:

- CDSCO ने अगस्त 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नियामक मंच (IMDRF) में संबद्ध सदस्यता के लिए आवेदन किया।
- भारत के आवेदन की समीक्षा सितंबर 2024 में सिएटल, वाशिंगटन में IMDRF के 26वें सत्र के दौरान की गई।

अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नियामक मंच (IMDRF) के बारे में:

- अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नियामक मंच की स्थापना 2011 में हुई थी, वैश्विक चिकित्सा उपकरण विनियामकों का एक सहयोगी समूह है।
- इसके सदस्यों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, ब्रिटेन, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और WHO के नियामक प्राधिकरण शामिल हैं।

सदस्यता के लाभ:

- **मजबूत नियामक ढांचा:** भारत IMDRF में शामिल होकर चिकित्सा उपकरण नियामक प्रणाली को बढ़ा सकेगा।
- **वैश्विक सहयोग:** भारत IMDRF खुले सत्रों में भाग लेकर अन्य नियामकों के साथ जानकारी के आदान-प्रदान और सहयोग को सुगम बनाएगा।
- **प्रतिस्पर्धा में वृद्धि:** भारतीय चिकित्सा उपकरण निर्माता IMDRF सदस्य देशों की नियामक आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार:** भारत की सदस्यता से सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को बेहतर तरीके से सुरक्षित किया जा सकेगा।

पहला खो-खो विश्व कप 2025 में भारत में आयोजित होगा

- भारतीय खो-खो महासंघ (KKFI) ने अंतर्राष्ट्रीय खो-खो फेडरेशन के सहयोग से 2025 में भारत में पहले खो-खो विश्व कप के आयोजन की घोषणा की है। इस प्रतियोगिता में 6 महाद्वीपों के 24 देशों की 16 पुरुष और 16 महिला टीमें हिस्सा लेंगी।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- विश्व कप से पहले, खेल को बढ़ावा देने के लिए KKFI 10 शहरों के 200 प्रमुख स्कूलों में खो-खो को लेकर जाने और स्कूली छात्रों के बीच सदस्यता अभियान चलाने की योजना बना रहा है। इस अभियान का उद्देश्य खो-खो विश्व कप से पहले 50 लाख खिलाड़ियों का पंजीकरण करना है, जिससे खेल की लोकप्रियता को बढ़ाया जा सके।
- KKFI का लक्ष्य खो-खो को 2032 के ओलंपिक में शामिल कराने का है और यह विश्व कप उस दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत यूएई में

- आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत 3 अक्टूबर से यूएई में हुई। टूर्नामेंट के 9वें संस्करण का पहला मैच बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया।
- अब तक हुए 8 संस्करणों में ऑस्ट्रेलिया 6 बार खिताब जीतने में सफल रहा है, जबकि इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ने एक-एक बार ट्रॉफी अपने नाम की है।
- इस टूर्नामेंट की मेजबानी पहले बांग्लादेश को सौंपी गई थी, लेकिन वहां के राजनीतिक संकट के चलते आईसीसी ने इसे अंतिम समय में यूएई स्थानांतरित कर दिया।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई)

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों के एक समूह, राष्ट्रीय विकलांगता नेटवर्क (एनडीएन), ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) में विकलांग व्यक्तियों को शामिल किया जाए, जिसमें कोई आयु संबंधी मानदंड न हो। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, उनकी आय की परवाह किए बिना, इस योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने की मंजूरी दे दी है।

एबी पीएम-जेएवाई के बारे में:

- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) भारत की प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसे 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य 12 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को, जो भारतीय आबादी के निचले 40% का गठन करते हैं, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है।

पात्रता मानदंड:

- सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के आधार पर वंचित और व्यावसायिक मानदंडों वाले परिवार इस योजना में शामिल हैं।

सुर्खियों में स्थान: जमैका

जमैका एक द्वीप देश है जो कैरेबियन सागर में स्थित है और क्यूबा से लगभग 145 किलोमीटर दक्षिण में है। यह ग्रेटर एंटील्स द्वीपसमूह का हिस्सा है, इसके दक्षिण में कैरेबियन सागर और उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर है।

जमैका के बारे में:

- जमैका का क्षेत्रफल लगभग 10,990 वर्ग किलोमीटर है, जिससे यह कैरेबियन का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी है, खासकर ब्लू माउंटेंस, जहाँ ब्लू माउंटेन पीक 2,256 मीटर की ऊँचाई पर है।
- **राजधानी:** किंग्स्टन, जो दक्षिणी तट पर स्थित है, जमैका की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। अन्य महत्वपूर्ण शहरों में मोंटेगो बे, पोर्टमोर और स्पेनिश टाउन शामिल हैं।
- **इतिहास:** 1494 में स्पेनियों ने जमैका पर कब्जा किया, लेकिन 1655 में ब्रिटिशों ने इसे जीत लिया। जमैका को 1962 में स्वतंत्रता मिली और यह अपनी समृद्ध संस्कृति और खासतौर पर रेगे संगीत के लिए जाना जाता है।
- **भाषाएं:** यहाँ की मुख्य भाषाएं अंग्रेजी, जमैकन पैटॉइस और कई क्रिओल भाषाएं हैं।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com